

सूचना

- ई-अन्नदाता कार्ड ई-अन्नदाता सेवाओं के उपयोग के लिए किसानों की पहचान का प्रमाण है।
- ई-अन्नदाता का मुख्य उद्देश्य किसानों को किसान होने पर गौरव की अनुभूति कराना है।
- ई-अन्नदाता कार्ड सार्वभौमिक पहचान संख्या है और यह सुरक्षित है।
- सुरक्षित क्यूआर कोड ऑनलाइन प्रमाणीकरण का उपयोग करके पहचान सत्यापित करें।
- ई-अन्नदाता कार्ड का 3 वर्ष के बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
- ई-अन्नदाता कार्ड किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- ई-अन्नदाता कार्ड पूर्णतः नि:शुल्क है परंतु कार्ड के मुद्रण (प्रिंट) का भुगतान किसान को स्वयं ही वहन करना है, जिसमें न्यूनतम 200 जी.एस.एम. पेपर पर लेमिनेशन के साथ अधिकतम रु. 50 व पीवीसी कार्ड पर अधिकतम रु.100 देय है।
- ई-अन्नदाता की सुविधा चाहने वाले संस्थाओं को ई-अन्नदाता वेल्फेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड से उचित सहमति लेना अनिवार्य है।

एक राष्ट्र- एक किसान

INFORMATION

- eAnnadata card is a proof of farmers identity for use eAnnadata services.
- The main objective of eAnnadata is to make feel proud to farmers of being farmers.
- eAnnadata card is Universal Identity Number & it's secure.
- Verify identity using secure QR code online authentication.
- It is mandatory to renew eAnnadata card after 3 years.
- eAnnadata Card provides many facilities to the farmers.
- eAnnadata card is completely free, but the farmer has to pay for printing of the card himself, in which a maximum of Rs.50 is payable on minimum 200 GSM paper with lamination and a maximum of Rs.100 on PVC card.
- It is mandatory for the institutions seeking the facility of eAnnadata to take proper consent from eAnnadata Welfare and Development India Limited.

One Nation- One Farmer

